

11/02/23

11/02/23

11/02/23

1102/23

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :—213/2022-23

(छोटानागपुर काष्ठकारी अधिनियम की धारा – 46)

सुन्दर गुण्डा
लक्ष्मी बखला

विक्रेता
क्रेता

आदेश की तारीख संख्या और तारीख	आदेश और प्रदाताकारी का संस्थान	आदेश पर गो पई कार्डवाई के सूचे में दिया, तारीख सहित		
08.02.23	<u>आदेश</u> आवेदक सुन्दर गुण्डा पिता गोपालेच गुण्डा ग्राम-मानहु, थाना खूंटी, जिला खूंटी ने लकड़ी बखला पिता चमल उरांव ग्राम-गेरणा गोचा, रेवा पो-खूंटी, थाना-खूंटी, जिला खूंटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटागांगपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।			
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकवा(एकड़ में)
मानहु	235	10	294	0.30

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रगाणपत्र/खतियान एवं लगान की ररीद 0981182424 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 81 दिनांक 08.02.23 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी ऐयत का नाग नागु मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार नागु मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 42.37 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकना 2.64 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 तक किया गया है। भूमि का चुनातम प्रस्तावित 2287.00(दो हजार दो सौ सतारी) रु0 प्रति ढीरागिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.34 एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान् अधिवेशन का कथन है कि क्रेता एवं पिक्रेता एक ही थाना खँटी के निवारी हैं एवं एक ही जाति (अनुरागित जनजाति रामुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ आम, खास, मन्दिर, गरिजाद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदवन्दी एवं खुटकटी आदि दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खँटी ने क्रेता-पिक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनशंसा किये हैं।

आधिकारी, खूटा के अनुरासा के जातान्वयन होता है। इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख

लोखापित एवं संशोधित

३८।०२।२२
पुणि सुगार डेप समाहर्ता,
खेंटी।

~~३१ अगस्त २०१४~~